न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 193/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/349)

निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगणः–

श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री रामाराम जी एवं पुत्री स्वर्गीय श्री पूनाराम जाति मेघवाल उम्र 65 वर्ष निवासी मेहलबा, मेघवाल मोहल्ला, धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. गोपाराम पुत्र श्री हीराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धवा, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा जो कि संकल्प सं. 8(ii) दिनांक 20.04.2017, मिसल सं. 03/2016–17 जो ग्राम पंचायत धवा द्वारा दिनांक 04.05.2017 को जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार गौड (प्रार्थी की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह राठौड (अप्रार्थी सं. 01 की ओर से)

–निर्णय– **दिनांक : 15.10.2025**

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत धवा तत्कालीन पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर द्वारा मिसल सं. 03/2016–17 में बुक सं. 50 में से जारी ग्राम धवा में पट्टा सं. 02 दिनांक 04.05.2017 जो संकल्प सं. 8(ii) दिनांक 20.04.2017 के अनुसरण में जारी किया गया है, को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 12.04.2022 को प्रार्थीया भंवरी देवी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी गोपाराम पुत्र हीराराम एवं ग्राम पंचायत धवा को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी 1 गोपाराम की ओर से श्री गजेन्द्र सिंह राठौड, एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत धवा से रिकॉर्ड तलब किया गया, जो प्राप्त हुआ।

3. निगरानी में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत धवा द्वारा मिसल सं. 03/2016–17 दिनांक 05.02.2017 में जिसमा 1770.06 वर्गफुट भूमि का पट्टा अप्रार्थी 1 के नाम जारी किया गया है, उस पर शुरू से ही अपीलांट का कब्जा है। अप्रार्थी 1 ने फर्जी तरीके से उक्त भूमि का पट्टा अपने नाम उठा लिया है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प सं. 8(ii) दिनांक 20.04.2017, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजात के विपरीत है। आक्षेपित पट्टा नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है, जो गलत है, क्योंकि अप्रार्थी 1 का कभी भी पिछले पचास वर्षो में विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। ग्राम पंचायत में मूल पत्रावली उपलब्ध ही नहीं है। 150 वर्गगज से अधिक भूमि का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। जारी पट्टे पर "विक्रय योग्य नहीं" की मोहर नहीं लगाई है। विवादग्रस्त पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 तक के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। पट्टा खुली बोली लगाकर जारी नहीं किया गया है। पट्टा फर्जी तरीके से मिलावट करके बिना रिकॉर्ड, सबूत व कार्यवाही के अपीलांट की कब्जासुद भूमि पर जारी किया गया है। अतः फर्जी व विधि विरूद्ध तरीके के जारी उक्त विवरण के पट्टे को खारिज किया जावे।

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 3, जोधपुर महानगर द्वारा दीवानी विविध वाद सं. 147/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2023 (प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 1, 2 ऑर्डर 39 सीपीसी में) की प्रति पेश की गई।

4. प्रकरण में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार गौड ने निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि आक्षेपित पट्टे की भूमि पर स्व. पूनाराम का ही पुराना कब्जा है तथा पूनाराम की एकमात्र उत्तराधिकारिणी प्रार्थीया ही है। पूनाराम ने किसी को भी गोद पुत्र के रूप में गोद नहीं लिया है। इस विवाद बाबत एडीजे कोर्ट में वाद लंबित है, जिसमें अप्रार्थी 1, गोपाराम का पूनाराम को गोदपुत्र नहीं माना है। विवादग्रस्त पट्टा मिलीभगत करके, अप्रार्थी 1 को पूनाराम का गोदपुत्र बताकर जारी किया गया है। पूनाराम की संपति पर, अप्रार्थी 1 को पट्टा प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः अवैध पट्टा को निरस्त किया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

5. प्रकरण में अप्रार्थी सं. 01 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रस्तुत निगरानी में विधि अनुसार न्याय संगत आदेश पारित कर दिया जावे।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व ग्राम पंचायत धवा से प्राप्त, ग्राम पंचायत का बैठक कार्यवाही विवरण, पट्टा बुक में उपलब्ध पट्टा सं. 2 तथा मिसल सं. 03/2016–17 में उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर मनन किया तथा पट्टा जारी करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किया।

7. (a) ग्राम पंचायत धवा से प्राप्त रिकॉर्ड अनुसार पट्टा बुक सं. 50 में मिसल सं. 03/2016–17 दिनांक 05.02.2017 में संकल्प सं. 8(ii) दिनांक 20.04.2017 की अनुपालना में दिनांक 04.05.2017 को पट्टा सं. 02, गोपाराम मेघवाल पुत्र पूनाराम निवासी मेघवालों का बास, धवा के पक्ष में प्रारूप '23 क' नियम 157(1) में विधायक आपके द्वार व पट्टा अभियान दिनांक 14.04.2017 से 27.07.2017 के दौरान 1770.06 वर्गफीट (196.67 वर्गगज) का सरपंच ग्राम पंचायत धवा व ग्राम सेवक के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है।

(b) ग्राम पंचायत से प्राप्त मिसल सं. 03/2016–17 में उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार, गोपाराम पुत्र पुनाराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.02.2017 को 196.67 वर्गगज भूमि बाबत पिछले 35 वर्षों से अधिक पुश्तैनी कब्जासुदा आवासीय प्रयोजनार्थ आबादी भूमि में जारी करने का पेश किया है जिस पर ग्राम पंचायत ने मिसल सं. 03/2016–17 दिनांक 05.02.2017 को दर्ज की है तथा आवेदन शुल्क रूपये 20/– व मौका निरीक्षण शुल्क रूपये 50/–, नक्शा शुल्क रूपये 50/– कुल 120 रूपये पंचायत में जमा कराने का आदेशिका में उल्लेख है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 20.02.2017 पारित कर, कुल 31 प्रकरणों में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 (जिन्हे आगे 1996 के नियम के रूप में संबोधित किया जायेगा) के नियम 146 के तहत मौका निरीक्षण हेतु एक तीन सदस्य कमेटी का गठन किया गया है।

(c) उक्त कमेटी ने दिनांक 20.02.2017 को ही आक्षेपित पट्टे की भूमि का निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट पूर्व में ही प्रिंटेड प्रपत्र में तैयार कर, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 05.03.2017 से, गोपाराम का पुराना पुश्तैनी कब्जा–50 वर्षों से पुराना मानकर, नियम 147 के तहत अस्थाई विक्रय करने का पारित किया तथा नियम 148 के तहत एक माह की अवधि का सार्वजनिक आपत्तियां पेश करने बाबत नोटिस जारी करने का निर्णय लिया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(d) दिनांक 05.03.2017 को ही प्रारूप 22 (नियम 148) में सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पुश्त पर हीराराम, लूम्बाराम, नारायण व युसुफ व 2 अन्य (अंपठनीय) व्यक्तियों के हस्ताक्षर है, परंतु इनका पूरा पता व वल्दियत अंकित नहीं है तथा यह नोटिस विवादग्रस्त भूमि पर दृश्यमान स्थान पर किस तिथि को, किसके द्वारा चस्पा किया गया है, इसका कोई विवरण अंकित नहीं है, जिसके अभाव में नियम 148 के तहत विहित न्यूनतम तीस दिन की अवधि की गणना करना संभव नहीं है, जो कि एक आज्ञात्मक प्रावधान है। फिर भी कार्यवाही विवरण रजिस्टर अनुसार ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.04.2017 को प्रस्ताव सं. 8 पारित कर, 1996 के नियमों के नियम 157(1)(i)(ख) के अधीन 200 रूपये की राशि लेकर पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया है परंतु उक्त प्रस्ताव ग्राम सेवक व सरपंच के हस्ताक्षरों से प्रमाणित नहीं है तथा दिनांक 04.05.2017 को पट्टा सं. 2 बनाप 196.67 वर्गगज गोपाराम पुत्र पूनाराम के नाम प्रारूप 23–क (नियम 157(1)) में जारी किया गया है, जबकि प्रार्थीया (निगरानीकार) द्वारा गोपाराम के पिता का नाम हीराराम अंकित किया है। ग्राम पंचायत ने गोपाराम पुत्र पूनाराम का 50 वर्षों से भी अधिक अवधि का पुराना पुश्तैनी कब्जा व मकान निर्मित होना मानकर नियम 157 के तहत नियमितीकरण के रूप में प्रारूप 23–क में पट्टा जारी किया है परंतु पत्रावली पर गोपाराम पुत्र पूनाराम के नाम से पुराना पुश्तैनी कब्जा से निर्मित मकान का कोई सबूत/साक्ष्य नहीं है। श्री हीराराम पुत्र शेराराम व नरसिंगाराम पुत्र इन्द्राराम के नाम से बयान फार्म में सिर्फ नाम व पता ही लिखा है तथा किसी भी प्रकार का बयान अंकित ही नहीं है। बयान फार्म रिक्त है।

(e) इसी प्रकार तीन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पूर्व प्रिंटेड प्रपत्र में पेश किया है, जिसमें मकान निर्मित होने का कोई तथ्य अंकित नहीं है तथा नियमन करने की सिफारिश भी नहीं की है अर्थात् प्रिंटेड फार्म में मात्र औपचारिकता पूर्ण करने के लिए कमेटी के सदस्यों ने मात्र हस्ताक्षर किये है।

(f) इसी प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से आवेदक के पक्ष में नियम 157(1) के तहत पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा जारी करने का कोई साक्ष्य/सबूत उपलब्ध ही नहीं है। आवेदक स्वयं ने भी पुराने कब्जे बाबत किसी प्रकार का शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है।

(g) इसके अतिरिक्त अगर पूनाराम का भी पुराना कब्जा पाया जाता है तो पूनाराम के समस्त कानूनी वारिसान के अधिकारों, हकों व स्वत्वों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। निगरानीकार ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 3, जोधपुर महानगर द्वारा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

दीवानी प्रकरण सं. 147/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2023 की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा तथाकथित विवादास्पद हकतर्कनामा दिनांक 02.07.2015 से संबंधित कृषि भूमियों के हस्तांतरण इत्यादि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उक्त आदेश के अवलोकन से जाहिर होता है कि अप्रार्थी, गोपाराम स्वयं को, अपीलांट भंवरीदेवी के पिता पूनाराम का गोदपुत्र बता रहा है तथा पूनाराम की विभिन्न ग्रामों में अवस्थित कृषि भूमियों में से प्रार्थीया भंवरी देवी द्वारा अपना हक–हिस्सा, गोपाराम के पक्ष में किये गये विवादास्पद हकतर्कनामा दिनांक 02.07.2015 के दस्तावेज को निरस्त करने का वाद लंबित है। गोपाराम की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जवाब अनुसार गोदनामा पंजीबद्ध है तथा अपीलांट व गोपाराम भाई बहन है, परंतु उक्त विवाद का निपटारा सक्षम न्यायालय द्वारा ही होना है परंतु विवादास्पद निगरानीधीन पट्टा की भूमि अगर पूनाराम के पुराने कब्जे की है, तो उसमें प्रार्थीया का हिस्सा होना चाहिए तथा ग्राम पंचायत को उक्त तथ्य की जांच करके ही पट्टा जारी करना चाहिए था, परंतु नियम 148 के तहत विहित प्रक्रिया का पुरी तरह से पालन नहीं होने के कारण, प्रार्थीया अपना क्लेम/आपत्ति पेश नहीं कर सकी। इस प्रकार ग्राम पंचायत धवा ने आक्षेपित पट्टा जारी करने में 1996 के नियमों में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तथा प्रभावित सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया है।

8. उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार ग्राम पंचायत धवा द्वारा जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य है तथा यह निगरानी स्वीकार योग्य है तथा प्रकरण को, ग्राम पंचायत धवा को प्रतिप्रेषित किया जाकर, विधि प्रक्रिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करने हेतु भेजा जाना न्यायोचित है।

आदेश

9. फलस्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत धवा द्वारा मिसल सं. 03/2016–17 दायर दिनांक 05.02.2017 में पट्टा बुक सं. 50 में से जारी पट्टा सं. 02 दिनांक 04.05.2017 (प्रारूप 23–क) को निरस्त किया जाता है तथा उक्त पट्टे को जारी करने हेतु (इस पट्टे की सीमा तक) पारित ग्राम पंचायत धवा के समस्त संकल्प भी अपास्त किये जाते है।

10. प्रकरण ग्राम पंचायत धवा को, प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में निगरानीकर्ता भंवरी देवी व अन्य समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान किया जावे तथा 1996 के नियमों में विहित प्रक्रिया का अक्षरतः पालना किया जावे तथा पुराना कब्जा निर्माण होने का साक्ष्य–सबूत लेकर विधि अनुसार, अगर योग्य पाया जावे तो योग्य व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम पट्टा जारी किया

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जावे। अन्यथा पाया जाने पर ग्राम पंचायत नियमानुसार विवादग्रस्त भूमि का विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है।

11. निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत को मूल अभिलेख लौटाया जावे।
12. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निरस्तारित किये जाते है।
13. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर